


भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindiWebsite : www.rbi.org.inई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai-400001 फोन/Phone: 022- 22660502

9 फरवरी 2024

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निरस्त किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया है।

क्र. सं.	कंपनी का नाम	पंजीकृत कार्यालयीन पता	पंजीकरण प्रमाणपत्र सं.	प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख	प्रमाणपत्र निरस्त करने की तारीख
1	भारथु इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस इंडिया लिमिटेड	ईस्ट गांधी मैदान, जहानाबाद, बिहार-804408	बी-15.00013	26 सितंबर 1998	17 जनवरी 2024
2	कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड	पहली मंजिल, टर्नर मॉरिसन बिल्डिंग, 16 बैंक स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001	एन.13.02242	18 मई 2018	17 जनवरी 2024
3	पीएसपीआर एंटरप्राइसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	707, 7वीं मंजिल गोपाल हाइट्स, प्लॉट नंबर डी-9 शुभाष प्लेस पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली - 110034	बी-14.01725	15 जून 2017	25 जनवरी 2024

अतः उक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी।